न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:—48 / 17 दायर दिनांक:—01.06.2017

जीसीएमएस नं. 2017 / 00106

1. श्रीफल पुत्र मलारी उम्र 65 वर्ष जाति जाटव निवासी रेवई तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

———सायल

बनाम

1. रमेश पुत्र परभाती उम्र 52 वर्ष
2. परभाती पुत्र मलारी उम्र 72 वर्ष
3. विरेन्द्र पुत्र रमेश उम्र 33 वर्ष
4. जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र रमेश उम्र 29 वर्ष
5. अमन पुत्र रमेश उम्र 25 वर्ष

} जाति जाटव निवासी रेवई, तहसील हिण्डोन जिला करौली

6. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डोन जिला करौली।
7. ओ.बी.सी. बैंक शाखा हिण्डौन सिटी।

—गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित—1.श्री हरिबल्लभ चर्तुवेदी वकील सायलान
2.श्री अशोक नीमनका वकील गैरसायलान

निर्णय

दिनांक 14.05.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 613 रकबा 0.40 है0, खसरा न0 614 रकबा 0.06 है0, खसरा न0 615 रकबा 0.35 है0, खसरा न0 616 रकबा 0.21 है0, खसरा न0 617 रकबा 0.17 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.19 है0 वाकेतान ग्राम रेवई तहसील हिण्डौन स्थित है जिसमें सायल का 1/2 हिस्सा व गैरसायाल संख्या 1 का 1/2 हिस्सा [illegible] उक्त आराजी मिन सायल व गैरसायल सं. ने अलग—अलग विक्रयपत्र से [illegible] क्रय की है। उक्त आराजी सायल व गैरसायलान की पैत्रिक आरा[illegible]त नहीं है। गैरसायलान [illegible] ने सन् 1982 में जमीन खरीदी थी, सायल ने सन् 1985 में दूसरे खातेदार का हिस्सा खरीदा था। सयल व गैरसायलान 1 ता 5 एक ही परिवार के व्यक्ति ळें गैरसायल सं 1 सायल का सगा भतीजा है। गैरसायल संख्या 2 सायल का सगा भाई है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:03:00 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायल संख्या 3, 4, 5 गैरसायल संख्या 1 के पुत्र है। जो रिश्ते मे सायल के नाती लगते है। उक्त आराजीयात का सायल व गैरसायल संख्या 1 ने मौके पर बाहमी तौर पर बंटवारा कर रखा है। कुल भूमि 1.19 है0 है जिसमें से 59 1/2 ऐयर भूमि सायल के हिस्से में तथा 59 1/2 ऐयर भूमि गैरसायल संख्या 1 के हिस्से में आती है। सायल का कब्जा आराजी हाल खसरा न0 616 रकबा 21 ऐयर, खसरा न0 617 रकबा 17 ऐयर खसरा न0 615 में से 21 1/2 ऐयर भूमि उत्तर दिशा की ओर पर है तथा गैरसायल संख्या 1 का कब्जा खसरा न0 613 रकबा 40 ऐयर, खसरा न0 614 रकबा 6 ऐयर व खसरा न0 615 मे से 13 1/2 ऐयर भूमि दक्षिण दिशा की ओर पर है। जिस पर सायल व गैरसायाल संख्या 1 अलग–अलग काबिज है। सायल व गैरसायल संख्या 1 के पूर्ववती खातेदार भी इसी प्रकार काबिज थे। सायल व गैरसायल संख्या 1 शुरू से उक्त आराजीयात पर इसी अनुरूप शुरू से आज दिन तक अलग–अलग आज दिन तक काबिज है। दोनो पक्ष अपने–अपने हिस्से की आराजीयात को अलग–अलग काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे है एंव लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है। सायल व गैरसायल संख्या 1 ने अपने–अपने हिस्से की आराजीयात को अपने–अपने हिसाब से विकसित किया है। सायल ने आराजी खसरा न0 616 में उत्तरी पूर्वी हिस्से में खसरा न0 617 के सटवा 750 फीट गहरा बोर वर्ष 2015 में करवाया है। जिस पर अपने नाम से 15 एच.पी. का विद्युत कनेक्शन विद्युत विभाग स`ले रखा है। जिससे सायल अपनी उक्त आराजीयात में सिचांई करता है तथा अन्डरग्राउण्ड पाईप लाईन डालकर खसरा न0 615 से 615 में होकर अपनी अन्य आराजीयात पर भी सिचाई करता है। सायल के बार में वर्तमान में पर्याप्त पानी है जिसके कारण गैरसायलान के मन में बेईमानी, फितूर व ईष्या उत्पन्न हो गयी है। गैरसायलान संख्या 1 ने भी अपने हिस्से की आराजी खसरा न0 613, 614, व 615 के अपने भाग को अपने हिसाब से विकसित किया है। खसरा न0 614 व 613 की मध्य डोल में पूर्ववती खातेदारों के सयम से बौर था जिसमें पानी कम हो गया, सिचाई योग्य पानी नहीं बचा, तब गैरसायल संख्या 1 ने अपनी आबादी में नवीन बोर वर्ष 2014 मे करवाया। जिस पर गैरसायल संख्या 1 ने अपने नाम से विद्युत कनेक्शन ले रखा है। जिससे वह अपने हिस्से की आराजीयात की सिचाई करता है। इस प्रकार दोनो पक्ष अपने–अपने हिस्से की आराजीयात पर वर्ष 1982 व 1985 से खरीद के समय से ही अलग–अलग काबिज है। एव0 अपने–अपने हिस्सों का अलग–अलग लगान अदा करते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:03:00 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायलान झगडा[illegible]ार पर सायल को तंग व परेशान करते है [illegible] संख्या 1 का शामिल खाता होने के कारण गैरसायल संख्या 1 लगायात 5 सायल [illegible] उपर दादागिरी करते हैं एवं सायल से सायल का तन्हा बोर छिनना चाहते है। जबकि सायल ने अपने बोर में करीब 3 लाख रूपये खर्चा किया है। गैरसायल द्वारा सायल को विगत 3 माह से लगातार तंग

व परेशान करने के कारण सायल को यह प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

दिनांक 21.05.2017 को गैरसायल संख्या 1 ता 5 हाथों में लाठी डण्डे लेकर सायल के बोर खसरा नम्बर 616 पर आ गये, जहां सायल व सायल की पत्नी मौजूद थे। गैरसायलान ने सायल को धमकाते हुए कहा कि तुमने हमारे हिस्से की जमीन में बोर कर लिया है, इस बोर को तुमसे जबरन छीगेंगे क्योकि हमारे बोर में पानी हुआ है। गैरसायल संख्या 2 सायल से गाली गलौच करने लग गया एवं धमकी देने लगा कि मैं तुम्हारे वाले हिस्से में से चही काश्त करूंगा। सायल ने हाथ जोडकर गैरसायल संख्या 2 से कहा कि भाईसाहब सन् 1985 से मैं अपने अलग हिस्से पर काबिज हूँ, आप सन् 1982 से अपने अलग हिस्से पर काबिज हो, आप अपने हिस्से पर पूर्ववत काबिज रहिये एवं मुझे अपने हिस्से पर काबिज रहने दीजिये। इस पर गैरसायलान नहीं माने एवं सायल को एलानियां धमकी देने लगे कि तेरे हिस्से की जमीन में हम जबरन अतिक्रमण कर बोर को छीनेंगे, हमारे पास लठ्ठ व पैसे की ताकत है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते। इसलिये सायल को प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। सायल के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन बखूवी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सायल स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को दौराने दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे ि कवे सायल के हिस्से की आराजी खसरा नं0 616 रकवा 0.21 है0 खसरा नं0 617 रकवा 0.17 है0, खसरा नं0 615 रकवा 0.35 है0 में से उत्तर दिशा की ओर का 21½ ऐयर रकवा के उपयोग उपभोग में एवं कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें, न किसी अन्य से करावे, तथा खसरा नम्बर 616 में सायल के बने हुए बोर के सायल के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न अन्य किसी से करावे तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे सायल के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडे, सायल को शांतिपूर्ण तरीके से काश्त करने दें। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान की तलवी की गई। गैरसायलान नं0 1 ता0 5 की ओर से श्री अशोक [illegible] वकालतनामा पेश किया। गैरसायलान अधिवक्ता वकील को जवाब [illegible] कई [illegible] देने के बावजूद जबाव पेश नही करने पर आदेशिका दिनांक 3.3.2021 [illegible] जबाव बंद कर दिया गया, एवं गैरसायलान न0 6,7 वावजूद सूचना उपस्थित [illegible] होने पर आदेशिका दिनांक 26.04.2024 द्वारा गैरसायलान नं0 6 व 7 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रकरण में प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई सायल वकील द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया गया एवं प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:03:00 IST
Reason: SelfAttested

अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया। गैरसायलान वकील द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र अंकित बिन्दुओं को नकारते हुए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

प्रकरण में उभय पक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2069–72 खाता संख्या 255, नक्शा , खसरा गिरदावरी संवत 2069–72 , वाके ग्राम रेवई तहसील हिण्डौन जिला करौली एवं बिजली बिल न0 2112120909861, फोटो कॉपी फर्द मौका दिनांक 1.1.18, प्रति विक्रय पत्र दिनांक 27.5.1985 , नक्शा ट्रेस, जमाबंदी सं0 2036–2040 , फोटो कॉपी नकल टी.आई फैसल दिनांक 3.8.2021, 27.9.22 न्यायालय ए.सी.जे. हिण्डौन , नकल विद्युत कनेक्शन , नकल फोटो कॉपी एफ आई आर सं0 521/18, चार्ज शार्ट नकल प्रति का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि संयुक्त खातेदारी की भूमि पर समस्त अंशधारी खातेदार पूर्णभूमि पर काबिज होते हैं तथा उभयपक्ष की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में दिनांक 01.06.2017 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आराजी की मौका एवं रिकॉर्ड की यथा स्थिति ताफैसला बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 14.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:03:00 IST
Reason: SelfAttested